प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक 18.06.2019 को आयोजित अंतर्एजेंसी समन्वय समिति की बैठक की कार्यवाही:–

प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 18.06.2019 को अंतर्एजेंसी समन्वय समिति की बैठक विभागीय कार्यालय कक्ष में आयोजित की गयी, जिसमें मुख्य अभियंता, बुडको/अधीक्षण अभियंता, बुडको/कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग/बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के प्रतिनिधि/पटना नगर निगम के सभी अंचलों के कार्यपालक पदाधिकारी एवं अभियंता/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, फुलवारी शरीफ एवं दानापुर तथा अन्य संबंधित पदाधिकारी/अभियंता उपस्थित हुए।

2. <u>पटना नगर निगम से संबंधित मुद्दे</u> :–

2.1 पटना नगर निगम में वाटर टैंकर क्रय किये जाने की स्थिति की समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत पूर्व निर्णय के आलोक में आवश्यकतानुसार वांछित संख्या में टैंकर क्रय करने के संबंध में अग्रेतर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

2.2 पटना जलापूर्ति योजना में 13 वाटर टॉवर एवं नेटवर्क का कार्य पटना नगर निगम द्वारा किया जा रहा है। इस संबंध में अद्यतन जानकारी प्राप्त की गई तथा निदेश दिया गया की जिन कार्यों के लिए निविदा निष्पादन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। वहाँ अविलम्ब संवेदक के साथ एकरारनामा सम्पन्न कराया जाय। शेष जगहों के लिए यदि पुर्निविदा कराया जाना आवश्यक हो तो अविलम्ब उसे भी प्रकाशित कराया जाय।

2.3 पटना नगर निगम क्षेत्र में ADB संपोषित जलापूर्ति योजना कार्यान्वित किया जाना है, जिसके लिए नगर आयुक्त, पटना नगर निगम को निर्देश दिया गया कि चिह्नित भूमि की NOC प्राप्त कर लिया जाय।

2.4 पटना नगर निगम क्षेत्र के सभी वार्डों में पेयजल कनेक्शन हेतु विभाग स्तर से योजना की स्वीकृति दीं गयी है। विभागीय पत्रांक–2794 दिनांक–06.06.2019 द्वारा यह प्रतिवेदन माँगा गया है कि उक्त स्वीकृत योजना के आलावा हाउस कनेक्शन हेतु अन्य योजनाओं की आवश्यकता है या नहीं। उक्त वांछित प्रतिवेदन शीघ्र उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया है।

2.5 पूर्व की बैठक में नगर आयुक्त, पटना नगर निगम को निर्देश दिया गया था कि वे अपने स्तर पर रोड कटिंग के कार्य हेतु पॉलिसी निर्धारण के लिए एक कमिटी गठित करें, जिसमें पथ निर्माण विभाग के अभियंता, बुडको के अभियंता, GAIL के प्रतिनिधि एवं Optical Fiber कंपनी के प्रतिनिधि को रखा जाय। इस कमिटी द्वारा एक सप्ताह में पॉलिसी निर्धारित करके अग्रेत्तर कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। इस संबंध में कृत कार्रवाई अबतक अप्राप्त है।

2.6 पिछली बैठक में कार्यपालक पदाधिकारी, कंकड़बाग अंचल, पटना नगर निगम द्वारा प्रतिवेदित किया गया था कि बाईपास में NHAI द्वारा "चड्डा एंड चड्डा" एजेंसी के माध्यम से नाला का निर्माण किया जा रहा है, जिसका निर्माण कार्य काफी समय पूर्व से हो रहा है और कार्य वर्तमान में बंद है तथा निर्माण के क्रम में पूर्व के नाला के अधिकाँश क्षेत्र को जाम कर दिया गया है, जिसके कारण नाला का बहाव कम हो गया है, फलस्वरूप आगामी मॉनसून में कंकड़बाग क्षेत्र में भीषण जलजमाव की स्थिति हो जाएगी।

इस संबंध में बैठक में उपस्थित NHAI के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि उक्त नाले की कुल लम्बाई 3520 मीटर है, जिसमें 1050 मीटर नाले का निर्माण NHAI द्वारा किया जा चुका है। शेष बचे हुई राशि वापस की जा चुकी है। इस संबंध में पथ निर्माण विभाग के प्रतिनिधि को निर्देश दिया गया कि इस नाले का निर्माण हेतु अग्रेत्तर कार्रवाई शीघ्र की जाय।

यदि कार्य शीघ्र पूर्ण कराने में कहीं कठिनाई है तो इससे नगर विकास एवं आवास विभाग को प्रतिवेदित किया जाय।

3. **<u>बुडको से संबंधित मुद्दे</u>** :–

3.1 पटना जलापूर्ति योजना में 05 अर्द्धनिर्मित वाटर टॉवर एवं नेटवर्क की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है और राशि भी आवंटित की जा चुकी है। बुडको के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि 02 योजनाओं में कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है। शेष 03 योजनाओं में इस सप्ताह कार्य प्रारम्भ करा दिया जाएगा। यह भी बताया गया कि JnNURM योजना अंतर्गत लगभग ₹4.5 करोड़ राशि ब्याज के रूप में पड़ा हुआ है, जिसका इस योजना के अंतर्गत उपयोग किया जा सकता है अथवा नहीं।

बुडको के प्रतिनिधि को निर्देश दिया गया है कि इस संबंध में स्पष्ट प्रस्ताव विभाग को उपलब्ध कराये। उक्त योजना को शीघ्र पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे।

3.2 पटना नगर निगम क्षेत्र में ADB संपोषित जलापूर्ति योजना के कार्यान्वयन के संबंध में प्रबंध निदेशक, बुडको को निर्देश दिया जाता है कि वे इस हेतु पटना नगर निगम से समन्वय स्थापित कर डी०पी०आर० शीघ्र विभाग को उपलब्ध कराएंगे।

3.3 मुख्य अभियंता, बुडको को निर्देश दिया गया कि बुडको द्वारा कार्यान्वित विभागीय महत्वपूर्ण योजनाएं यथा ISBT, बेउर से मीठापुर ड्रेनेज योजना, नालों के उपर पक्कीकरण कार्य, पटना जलापूर्ति योजना के 05 योजनाओं के कार्य को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराया जाय और इसका नियमित अनुश्रवण एवं समन्वय सुनिश्चित किया जाय।

3.4 पिछली बैठक में श्री जितेन्द्र शाही, कार्यपालक अभियंता, बुडको द्वारा ISBT निर्माण के कार्यान्वयन के संबंध में प्रतिवेदित किया गया था कि कार्य में विलंब के लिए संवेदक एजेंसी से स्पष्टीकरण पूछा गया है। कार्य में विलंब होने के लिए दंड के रूप में एजेंसी से राशि की कटौती के संबंध में पृच्छा करने पर इनके द्वारा बताया गया कि दंड स्वरूप राशि की कटौती अभी तक नहीं की गयी है।

बुडको द्वारा अबतक ISBT का ट्रैफिक प्लान तैयार नहीं किया गया है। इस संबंध में बुडको के प्रतिनिधि को ISBT का ट्रैफिक प्लान तैयार कर एक सप्ताह के अंदर PPT के माध्यम से प्रस्तुतीकरण किये जाने का निदेश दिया गया।

4. **<u>पथ निर्माण विभाग से संबंधित मुद्दे</u>** :–

4.1 पिछली बैठक में कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग द्वारा बताया गया था कि पटना शहर के पथों के किनारे फ्लैंक के निर्माण का प्रावधान किया गया है और निविदा में फ्लैंक निर्माण हेतु समयसीमा 01 वर्ष निर्धारित है। पथ निर्माण के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि उक्त कार्य पूर्ण करा दिया गया है।

4.2 पिछली बैठक में नगर आयुक्त, पटना नगर निगम द्वारा कहा गया था कि पटना शहर के सभी फ्लाईओवरों के नीचे की जगह को पटना नगर निगम को हस्तांतरित कर दिया जाय ताकि उत्कृष्ट तरीके से साफ–सफाई तथा पेंटिंग आदि कार्य कराया जा सके और शहर का सौंदर्यीकरण हो सके।

पथ निर्माण विभाग से अपेक्षा है कि इस संबंध में शीघ्र अगेत्तर कार्रवाई करेंगे।

5. **<u>बिहार राज्य पुल निर्माण निगम से संबंधित मुद्दे</u>** :–

5.1 पिछली बैठक में नगर आयुक्त, पटना नगर निगम द्वारा प्रतिवेदित किया गया था कि मीठापुर बस स्टैण्ड रोड में फ्लाईओवर का निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें डायवर्जन में पक्का रोड का निर्माण नहीं किया गया है, जबकि फ्लाईओवर का निर्माण कार्य काफी समय पूर्व से हो रहा है। डायवर्जन का निर्माण समुचित क्षेत्र में नहीं होने के कारण हमेशा ट्रैफिक जाम की समस्या रहती है।

इस संबंध में विभाग स्तर से बिहार राज्य पुल निर्माण निगम को पत्र भेजा जाय कि बिहार राज्य पथ विकास निगम एवं बिहार राज्य पुल निर्माण निगम द्वारा पटना शहर में निर्माण कराये जा रहे फ्लाईओवरों के पास ट्रैफिक प्लान की व्यवस्था के संबंध में प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग एवं अधोहस्ताक्षरी की उपस्थिति में प्रस्तुतिकरण कराया जाय।

5.2 नगर निगम के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया है कि पुल निर्माण के क्रम में आर० ब्लॉक में नाला बंद हो गया है, जिससे इस क्षेत्र में जल–जमाव की समस्या उत्पन्न हो सकती है। इस संबंध में पुल निर्माण के निगम के प्रतिनिधि को पटना नगर निगम से समन्वय कर इस समस्या का तत्काल समाधान करने का निदेश दिया गया।

6. <u>ऊर्जा विभाग से संबंधित मुद्दे</u> :–

6.1 पटना शहर में 05 कोर केबल एरियल बंच लगाया जाना था, जिसमें 01 कोर केबल की व्यवस्था स्ट्रीट लाईट के उपयोग के लिए की गयी थी। इस संबंध में महाप्रबंधक, PESU द्वारा बताया गया था कि राज्य में पटना सहित कई शहरों के मुख्य पथों में 05 कोर केबल एरियल बंच लगा दिया गया है, जिसमें पटना शहर में लक्षित 700 कि०मी० के विरूद्ध लगभग 400 कि०मी० में कार्य पूर्ण हो गया है।

इन्हें निर्देश दिया गया था कि पटना सहित राज्य के सभी शहरों के संबंधित route plan की विवरणी नगर विकास एवं आवास विभाग को अतिशीघ्र उपलब्ध कराएंगे। यह विवरणी अभी तक विभाग में प्राप्त नहीं हो पायी है।

6.2 SBPDCL के प्रतिनिधि से यह पृच्छा किये जाने पर उनके द्वारा बताया गया कि वर्तमान में स्ट्रीट लाईट एवं जलापूर्ति पर टैरिफ Domestic Tariff से अधिक है।

चूँकि स्ट्रीट लाईट एवं जलापूर्ति का उपयोग नागरिक सुविधा के लिए किया जा रहा है, अतः इसका टैरिफ Domestic Tariff से कम होना चाहिए। इस संबंध में विभागीय पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि अन्य राज्यों का उदाहरण देते हुए SERC, ऊर्जा विभाग, SBPDCL, NBPDCL को पत्र भेजा जाय।

6.3 स्ट्रीट लाईट में LED के इस्तेमाल होने से बिजली बिल में कमी आने की संभावना है। अतः सभी नगर निकायों को निदेश भेजा जाय कि SBPDCL से समन्वय स्थापित कर बिजली विपत्र का सुधार करा लिया जाय।

6.4 नगर निकायों में बिजली दर पर 01 प्रतिशत अधिभार लगाया जाना है, जिसकी वसूली SBPDCL द्वारा किया जाना है एवं उसे नगर निकाय को हस्तांतरित की जानी है, परन्तु SBPDCL के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि इस संबंध में कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हो पायी है। विभागीय पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि इसका स्मार पत्र पुनः भेजा जाय।

6.5 SBPDCL के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि सम्प हाउस के बगल में 20X20 मीटर का भूखण्ड उपलब्ध होने पर पावर हाउस का निर्माण कर सम्प हाउस को विश्वसनीय बिजली उपलब्ध करायी जा सकती है। इस संबंध में बुडको से समन्वय स्थापित करने का निदेश दिया गया है।

6.6 SBPDCL के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि सम्प हाउस के लिए पर्याप्त वोल्टेज का कनेक्शन नहीं लिया गया है। 33 KV के जगह पर मात्र 11 KV का कनेक्शन लिया गया है, जिससे ट्रिप की संभावना बनी रहती है। इस संबंध में बुडको के प्रतिनिधि को निदेश दिया गया कि पर्याप्त वोल्टेज का कनेक्शन शीघ्र लिया जाय।

7. <u>बिहार राज्य आवास बोर्ड से संबंधित मुद्दे</u> :–

7.1 पिछली बैठक में सचिव, बिहार राज्य आवास बोर्ड को निर्देश दिया गया था कि आवास बोर्ड की कॉलोनियों में बोर्ड द्वारा निर्मित नाले को सफाई हेतु पटना नगर निगम को हस्तांतरित कर दिया जाय तथा बोर्ड के commercial plots का e-auction शीघ्र कराया जाय। कृत कार्रवाई की सूचना अप्राप्त है। इसे शीघ्र उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

8. कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, दानापुर को निर्देश दिया गया कि दीघा में शवदाहगृह के निर्माण हेतु जमीन चिन्हित कर प्रस्ताव विभाग को उपलब्ध कराया जाय। बुडको द्वारा उक्त शवदाहगृह के निर्माण हेतु डी०पी०आर० तैयार किया जाएगा।

इस संबंध में विभाग स्तर से संबंधितों को दिशानिर्देश भेजा जाय।

9. दानापुर जलापूर्ति योजना का आंशिक कार्य बुडको द्वारा किया गया है तथा वर्तमान में दानापुर के सम्पूर्ण शहरी क्षेत्र में जलापूर्ति योजना का कार्य लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा किये जाने का प्रस्ताव है।

पिछली बैठक में कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, दानापुर द्वारा प्रतिवेदित किया गया था कि योजना के निमित्त आवश्यक जमीन अंचलाधिकारी द्वारा नहीं दी जा रही है, जबकि उनसे इस हेतु कई बार वार्ता भी की गयी है। इन्हें निर्देश दिया गया कि जलापूर्ति योजना हेतु जमीन की उपलब्धता में कठिनाई हो तो जिला पदाधिकारी से समन्वय सुनिश्चित करें।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

20/6/2019

(चैतन्य प्रसाद)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक 3069 न०वि० एवं आ०वि०/पटना, दिनांक 21/6/19

प्रतिलिपि :– मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

20/6/2019

प्रधान सचिव

ज्ञापांक 3069 न०वि० एवं आ०वि०/पटना, दिनांक 21/6/19

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/अध्यक्ष, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/प्रबंधक निदेशक, ब्रेडा (ई०मेल–breda@breda.in)/नगर आयुक्त, पटना नगर निगम, पटना/प्रबंध निदेशक, बुडको, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य आवास बोर्ड/महाप्रबंधक, एन०बी०सी०सी०, पटना/NHAI, Patna (email-ropatna@nhai.org)/पटना नगर निगम के सभी अंचलों के कार्यपालक पदाधिकारी/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, दानापुर एवं फुलवारी शरीफ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/6/2019

प्रधान सचिव

ज्ञापांक 3069 न०वि० एवं आ०वि०/पटना, दिनांक 21/6/19

प्रतिलिपि :–माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के आप्त सचिव/सभी विशेष सचिव/श्री अरविन्द कुमार झा, सहायक निदेशक/उप सचिव/अभियंत्रण कोषांग/प्रशाखा पदाधिकारी–2/आई०टी० मैनेजर, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/6/2019

प्रधान सचिव

दिनांक– 18.06.2019 को 02:30 बजे विभागीय प्रधान सचिव की अध्यक्षता में सम्पन्न अंतर एजेंसी समन्वय समिति की समीक्षा बैठक की उपस्थिति विवरणी :–

क्र० सं०	नाम	पदनाम	हस्ताक्षर
1.			
2.			
3.	भवानी नन्दन	मु० के०, बुडको	
4.	सत्यनारायण यादव	क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी आयुक्त पटना के प्रतिनिधि	18/6/19
5.	मो० अहमद अली अंसारी	E.O. Azimabad Circle PMC	18/6/19
6.	विजय कुमार सिंह	CME Patna Municipal Corp	18.06.19
7.	मनीष कुमार	E.O. Patliputra. PMC	18-6-19
8.	अविनाश सिंह	विद्युत कार्यपालक अभि०, पेसू (पू०)	18/06/2019
9.	अरविन्द कुमार	विद्युत कार्य० अभि०, पेसू (प०)	18/06/19
10.	उपेन्द्र कुमार श्रीवास्तव	मैनेजर (तक०), भोरा० लि०, पटना	18/6/19
11.	ओमप्रकाश सिंह	[illegible] BUIDCO	18/6/19
12.	ओम प्रकाश सिंह	कार्य० अभि०, UD&HD,	18/6/19
13.	गोपाल सिंह	सहायक अभि०, नई राजधानी पथ प्रमंडल, पटना	18/6/19
14.	एन. एच. आर.	का० अभि०, पी.एच.ई.डी.	18/6
15.	इम्तेयाज अहमद	का० अभि०, बुडको पटना पूर्वी क्षेत्र	18/06
16.	जितेन्द्र कुमार शाही	कार्य० अभि०, I.S.B.T. बुडको	18/6
17.	मनोज कुमार	E.O. N.P. Phulwarisharif	18/6/19
18.	विरेन्द्र कुमार तरूण	EO Bankipore	18/6/19
19.	शत्रुघ्न शरण सिंहा	E.Eng. Buidco Patna Eastern Area	18/06/19
20.	अनिल कुमार	सहा० अभियंता, नई राजधानी पथ प्रमंडल, पटना	18/6/19
21.			

22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
34.			
35.			
36.			
37.			
38.			
39.			
40.			
41.			
42.			
43.			
44.			
45.			